

Seat No. : _____

JC-106 (H)

July-2021

B.Com., Sem.-VI

CC-308 : Business Law – II

Time : 2 Hours]

[Max. Marks : 50

(Hindi Version)

- निर्देश : (1) खण्ड-I के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
(2) खण्ड-I से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें ।
(3) खण्ड-II में प्रश्न सं. 5 अनिवार्य है ।

खण्ड – I

1. (A) बेइलमेंट की परिभाषा दीजिए तथा बेइलोर के कर्तव्य लिखें । (10)
(B) एजेंसी का समापन (अंत) कैसे होता है, लिखिए । (10)
2. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (20)
 - (1) न्यूनतम सबस्क्रिप्शन
 - (2) कंपनी के आद्यस्थापक
 - (3) निदेशकों की अयोग्यता
 - (4) सत्ता-बाह्य सिद्धांत
3. (A) ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्न पदों को समझाइए : (10)
 - (1) ग्राहक
 - (2) सेवाएँ
 - (3) उत्पादक

(B) टिप्पणी लिखे : केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा परिषद् (10)
4. (A) शेयर की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रकार भी लिखें । (10)
(B) चेक से क्या तात्पर्य है ? चेक क्रॉसींग के प्रकार लिखिए । (10)

खण्ड – II

5. निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखिए : (कोई पाँच) (10)

- (1) गारंटी संविदा में तीन पक्षकार होते हैं ।
- (2) विशिष्ट लीयन से ज्यादा सामान्य लीयन का अधिकार वृहत् है ।
- (3) निजी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 100 सदस्य होने चाहिए ।
- (4) आर्टिकलों में कंपनी के उद्देश्य निर्दिष्ट हुए होते हैं ।
- (5) ग्राहक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था ।
- (6) विनिमय पत्र में तीन पक्षकार होने चाहिए ।
- (7) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1950 से अमल में है ।
- (8) गर्भित सत्ता के आधार पर एजेंट ने व्यवसाय के कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को सब-एजेंट कहते हैं ।
- (9) राज्य ग्राहक तकरार निवारण आयोग ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ की राशि के लिए शिकायत के निपटान की हकूमत रखती है ।
- (10) ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के तहत 'माल' शब्द में करंशी नोट समाविष्ट नहीं होता ।